न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef unite for children

SPUP

Centre for Child protection

दिसम्बर 2017 अंक: 9

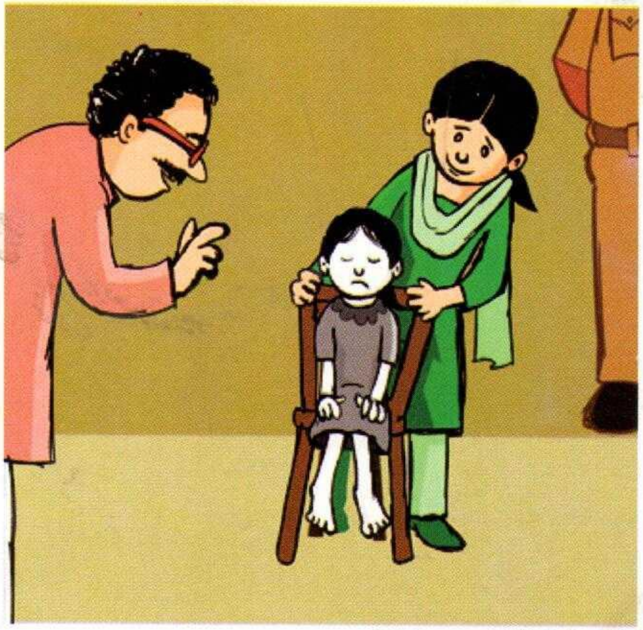

आभार : www.childlineindia.org.in/

सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन (सीसीपी) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

निदेशक की कलम से

बच्चों के प्रति अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बाल संरक्षण कानूनों, नीतियों और कार्यविधियों को बड़ी सजगता से बाल – मैत्रीपूर्ण बनाया है। बाल संरक्षण प्रक्रिया व बच्चों से संबधिंत न्याय प्रणाली को और सरल बनाने की दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अधिकतर राज्यों में बाल संरक्षण के कार्य की जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों पर रहती है जो पहले से ही सामान्य आपराधिक न्याय तंत्र में सेवाऐं दे रहे हैं। हमारे अधिकतर वर्तमान बाल संरक्षण कार्यकर्ता व्यस्कों के लिए, न्याय प्रणाली की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के लिए अभ्यस्त हैं। जमीनी स्तर पर कार्यप्रणालियों की ओवरलैपिंग अक्सर देखी जा सकती है। क्योंकि बाल संरक्षण कार्यप्रणालियां अपेक्षाकृत नयी हैं, जानकारी व अनुभव की कमी के कारण कभी कभी जमीनी स्तर पर कार्यविधि संबंधित उलझन हो जाती है।

न्यायपालिका द्वारा बाल संरक्षण कानूनों व कार्यप्रणालियों की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है। जमीनी स्तर पर बाल संरक्षण कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति के मूल्याकंन हेतु और दीर्घकालिक/अल्पकालिक समाधान ढुँढने हेतु, चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर हाई कोर्ट की अगुवाई में, राज्यों के समूहों के लिए नियमित रूप से राउंड–टेबल विचार–सभाओं (कंसल्टेशन) का आयोजन किया जा रहा है।

यह राउंड–टेबल कंसल्टेशन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम (जे. जे. एक्ट), 2000 के क्रियान्वयन के समय से ही माननीय उच्चतम न्यायालय की गहरी दिलचस्पी को दर्शाते हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए यह जरूरी था कि मुश्किलों व उभरते हुए मुद्दों का एक खाका बनाने के लिए और साथ ही व्यावहारिक उपाय ढूँढनें के लिए सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद भी यह फोकस जारी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की किशोर न्याय समिति के मार्गदर्शनों का अनुसरण करते हुए उत्तरी संभागीय रांउड टेबल कंसल्टेशन का आयोजन 6 मई 2017 को जयपुर में किया गया। सेतु के इस संस्करण में जयपुर कंसल्टेशन के प्रमुख निष्कर्षों को आपके समक्ष रखा जा रहा है।

– **राजीव शर्मा,** आई.पी.एस.
निदेशक
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

विशेषांक : किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के व्यवहारिक मुद्दे

उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समितियों (HCC&JJ) की राउंडटेबल कंसल्टेशन्स के अंश –

सभी संबंधित विभागों, कार्यकर्त्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों व अन्य के साथ मिलकर, नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से, सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समितियों (एचसीसी–जेजे) द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की गहन निगरानी करना इन राउंड–टेबल कंसल्टेशन्स का एक प्रमुख विषय रहा है। एचसीसी–जेजे को प्रशासनिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए सचिवालय स्थापित कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं।

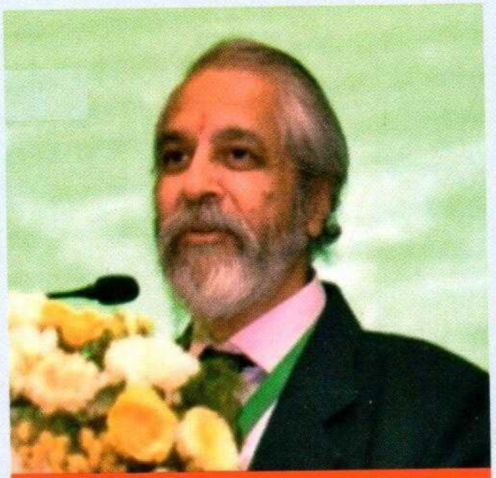

जस्टिस मदन बी. लोकूर,
अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट जुविनाइल जस्टिस कमेटी

सी.डब्लू.सी व जे.जे.बी की प्रभावशाली कार्य पद्धति –

अधिकतर राज्य अपने सभी जिलों में सी.डब्लू.सी व जे.जे.बी गठित कर चुके हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पूरी तरह से काम करें। विभिन्न राज्यों में भर्तियाँ की गयी हैं और केस पेंडेंसी (विचाराधीनता) को कम करने के लिए कुछ कदम उठाये गए हैं, जैसे – काम के दिनों की संख्या को बढ़ाकर, अतिरिक्त सी.डब्लू.सी व जे.जे.बी स्थापित करके, प्रिसिंपल मजिस्ट्रेट्स का पूर्णकालिक काम करना सुनिश्चित करके और पेंडेंसी के लिए त्रैमासिक रिव्यु करवाकर।

बाल संरक्षण संस्थानों (सी.सी.आई) की प्रभावशाली कार्य पद्धति–

कई राज्यों ने बताया है कि वे बाल संरक्षण संस्थानों (सी.सी.आई) द्वारा जे.जे –एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत हैं। जहाँ कुछ राज्यों में अतिरिक्त सी.सी.आई स्थापित किये गए हैं वहीं कुछ अन्य राज्यों द्वारा शासकीय रूप से अनिवार्य सी.सी.आई को स्थापित किया जा रहा है। कुछ राज्य "सुरक्षित स्थान" (प्लेस आफ सेफ्टी) स्वीकृत व स्थापित कर चुके हैं। कुछ राज्यों में सी.सी.आई के अन्तर्गत प्रबन्धन व बाल समितियाँ गठित की जा चुकी हैं और आवश्यक स्टाफ व काउंसलर्स नियुक्त किये जा चुके हैं। निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों के न्यायिक अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण इकाईयों (डी.सी.पी.यू), राज्य बाल संरक्षण समितियों (एस.सी.पी.एस), जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डी.एल.एस.ए), बाल कल्याण समितियों (सी.डब्ल्यू.सी), किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी), राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर) या खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जा रहे हैं।

कानूनी सेवाओं का प्रभावशाली प्रावधान –

कई राज्यों में जे.जे.बी व सी.डब्ल्यू.सी के साथ कानूनी सहायता क्लीनिक्स व पैनल जुड़े हुए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों (एल.एस.ए) द्वारा सामुदायिक एवं तालुका स्तर पर स्कूलों व कॉलेजों में कानूनी जागरुकता व संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। कुछ राज्यों में एल.एस.ए ने यौन पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करके उनके पुनर्वास में सहायता भी की है।

पुनर्वास के उपाय–

कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि सी.सी.आई. में सभी बच्चों के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजनायें (आई.सी.पी) अनिवार्य रूप से बनायी जा रही हैं। कुछ राज्यों ने इसमें प्रबन्धन समितियों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन्स को भी शामिल किया है, या आई.सी.पी तैयार करने के लिए सेल्फ–असेसमेंट टूल का उपयोग किया है। कुछ अन्य राज्यों में संरक्षण अधिकारियों, विधिक एवं परिवीक्षा अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर्स व अन्य के लिए सोशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट्स (एस.आई.आर.एस) व आई.सी.पी तैयार करना, सिखाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं।

कुछ राज्यों में "कानून के साथ संघर्षरत बच्चों"/विधि विरुद्ध बच्चों (सी.सी.एल) के पुनर्वास के लिए व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किये गए हैं और उन्हें इससे सम्बन्धित सेवाएं दी जा रही हैं । कुछ राज्यों ने व्यावसायिक प्रशिक्षणों व कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सी.सी.एल के

* न्यूज़लेटर के इस भाग के अंश तीसरी रीजनल लेवल राउंड टेबल कंसल्टेशन्स की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट से लिए गए हैं।
** यह रिपोर्ट "सेंटर फॉर चाइल्ड एंड दी लॉ" (CCL), नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु, द्वारा तैयार की गयी थी।

पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ गठबंधन किये हैं ।

कुछ राज्यों में ''देखभाल व संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों'' (सी.एन.सी.पी) के पुनर्वास के लिए व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किये गए हैं और उन्हें इससे सम्बन्धित सेवाएं दी जा रही हैं । कुछ राज्यों ने बच्चों को संस्थाओं में रखने के साथ–साथ दूसरे विकल्पों जैसे दत्तक ग्रहण व पालन–पोषण को बढावा दिया है। कई राज्यों में सी.सी.आई के अंतर्गत सी.एन.सी.पी के लिए शिक्षा के अधिकार की पालना को सुनश्चित किया जा रहा है व कई पुनर्वास सेवाएं जैसे व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं, व मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रावधान दिया जा रहा है।

जे.जे सिस्टम के तहत अन्य राज्यों व स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से कुछ राज्यों ने बच्चों की घर वापसी (repatriation and restoration) के लिए किये गए प्रयासों के बारे में भी सूचित किया । कुछ राज्यों में पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत बाल–मैत्री पुलिस स्टेशन्स व काउंसलिंग सेंटर बनाने की दिशा में भी कोशिशें की गयी हैं।

कई राज्यों द्वारा विशिष्ट किशोर पुलिस इकाईयाँ (एस.जे.पी.यू), राज्य बाल संरक्षण समिति (एस.सी.पी), जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ (डी.सी.पी.यू), और जिला, तालुका व ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ (सी.पी.सी) स्थापित करने के लिए कदम उठाये गए हैं। विभिन्न लक्षित समूहों को जे.जे. एक्ट व पोक्सो एक्ट के बारे में प्रशिक्षण देने व जागरुकता बढ़ाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

पुनर्वास सेवाएँ व पोक्सो अधिनयम, 2012 से जुड़ाव –

पोक्सो अधिनियम के अधीन ''कानून के साथ संघर्षरत बच्चों'' के मामलों में क्षतिपूर्ति, आयु के सत्यापन, देखभाल व संरक्षण व बच्चों के उपचार के दृष्टिकोण से आपराधिक न्याय प्रणाली व बाल संरक्षण तंत्र के बीच समन्वय व अभिसरण की जरुरत होना एक मुख्य मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है, जिस पर ध्यान देने की जरुरत है। सी.सी.एल व सी.एन.सी.पी के लिए पुनर्वास की संकीर्ण व अल्पविकसित संरचना को भी कई स्टेकहोल्डर्स व बाल अधिकारों के लिए कार्यरत विशेषज्ञों द्वारा चुनौती दी गयी।

कई व्यवस्थित, कार्यात्मक व व्यवहार सम्बन्धित चुनौतियों को पहचाना गया, जिनके कारण पोक्सो एक्ट, 2012 के सन्दर्भ में JJ सिस्टम और आपराधिक न्याय प्रणाली के जुड़ाव में बाधा आयी है। ये चुनौतियां कुछ इस प्रकार से है –

- स्टेकहोल्डर्स के मध्य समन्वय की जरुरत
- विशेष न्यायालय / मजिस्ट्रेट्स व सी.डब्ल्यू.सी के मध्य अनुबन्धन की आवश्यकता।
- पोक्सो अधिनियम के तहत, नियम 4(3) के अनुसार जरुरी मामलों में विक्टिम्स को सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना व पुलिस द्वारा सी.डब्ल्यू.सी को सभी मामलों की रिपोर्ट देने में असमर्थ होना।
- सामाजिक लांछन, पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली / बाल संरक्षण प्रणाली तक पहुँचने में आड़े आता है।
- पुरस्कार व मुआवजा / क्षतिपूर्ति देने में देरी।
- ''प्रेम'' मामलों में सामने आने वाली चुनौतियाँ, अर्थात ऐसे मामले जिनमें पीड़ित व मुलजिम दोनों आपस में सम्बन्ध रखना बताऐं।
- पीड़ितों व सी.सी.एल की आयु के सत्यापन सम्बन्धित समस्याएँ।
- सहायता प्रदान करने मे देरी समर्पित (exclusive) सी.डब्ल्यू.पी.ओ व एस.जे.पी.यू का अभाव।
- कौटुम्बिक व्यभिचार (incest) के मामलों में पीड़ित की परिवार में वापसी से जुड़ी चुनौतियाँ।
- सेवा प्रदाताओं व विशेषज्ञों के डेटाबेस का अभाव।
- कार्यप्रणाली की पोक्सो एक्ट के प्रति अनुपालना में कमी।
- बाल–मैत्रीपूर्ण विशेष न्यायालयों व जे.जे.बी की कमी।
- विशेष न्यायालयों व जे.जे.बी में मामलों का लम्बे समय तक विचाराधीन रहना (पेंडेंसी)।
- अनिवार्य रिपोर्टिंग के कारण निजता व मानसिक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य सेवाओं पर पहुँच का प्रभावित होना।
- प्रक्रियाओं की अधिकता, पीड़ित के लिए मानसिक अघात का कारण बनती है।
- पोक्सो एक्ट के तहत दो सम्बन्ध बनाने वाले बच्चों का उपचार।
- आदिवासियों में बाल विवाह।

* तीसरी रीजनल लेवल राउंड टेबल कंसल्टेशन्स की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के आधार पर

SPUP Knowledge Is Power · unicef unite for children · Centre for Child protection

यौन उत्पीड़ित बच्चों के पुनर्वासन में आने वाली चुनौतियाँ –

- बच्चों के पुनर्वासन के लिए जरुरी प्रशिक्षित सहायकों, इन्टरप्रेटर्स, अनुवादकों, विशिष्ट शिक्षकों व अन्य विशेषज्ञों की कमी।
- यौन उत्पीड़न की शिकार बालिकाओं के प्रति नकारात्मक रवैया।
- पर्याप्त संख्या में सी.सी.आई. की कमी के कारण, विशेषकर खास जरूरत वाले बच्चों के पुनर्वासन व समर्थन में कमी रहना।
- फैलने वाले रोगों व एच.आई.वी की जाँच के लिए पीड़ित बच्चों को सेवाऐं देने हेतु चिकित्सा इकाई की जरुरत रहती है।
- आई.सी.पी व्यवहारिक प्रक्रियाओं के बिना यांत्रिक तरीके से तैयार किये जाते हैं।
- अक्षमता युक्त बच्चों की जरूरतों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता।
- पीड़ित बच्चों से सीधे तौर पर पेश आने वाले व्यक्तियों के आधारभूत व्यवहार में अधिक संवेदनशीलता लाने की जरुरत है
- जिम्मेदारियों के प्रति भ्रम होने से बच्चों का पुनर्वासन प्रभावित होता है
- घर वापसी (Restoration and repatriation) : राज्यों के स्टेकहोल्डर्स के मध्य कमजोर समन्वय।

सी.सी.एल के पुनर्वासन में आने वाली चुनौतियाँ –

- काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स, विशेष शिक्षक व अन्य व्यक्तियों की कमी जो सी.सी.एल की भावनात्मक व मानसिक जरूरतों को समझ सकें।
- सी.सी.एल के लिए विशेष व्यसन – मुक्ति केन्द्रों की अनुपलब्धता।
- आफ्टर–केयर कार्यक्रमों की कमी, विशेषकर यह देखते हुए की जे.जे एक्ट, 2015 आफ्टर–केयर ऑर्गेनाइजेशन्स के सम्बन्ध में नहीं है ।
- ICPs व SIRs तैयार नहीं होते या यदि तैयार होते भी हैं तो अच्छी गुणवत्ता के नहीं ।
- ICPs व पुनर्वास योजनाओं के लिए व्यक्तिगत फोलो–अप का अभाव
- सामाजिक अड़चनें, सामाजिक पुनः एकीकरण (reintegration) में रुकावट डालती हैं ।
- निष्पादन में देरी से पुनर्वासन प्रभावित होता है ।
- किशोर सम्बन्धों में लिप्त सी.सी.एल के साथ काम करना मुश्किल होता है।
- मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण प्रारम्भिक आंकलन करना कठिन होता हैं।
- सी.सी.एल के लिए हर जिले में "सुरक्षा के स्थान" और अवलोकन घरों (ओएच) जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के विभागों के बीच और प्रोबेशन ऑफिसर्स व पुलिस के बीच समन्वय और अभिसरण (coordination and convergence) की कमी।

किशोर न्याय प्रणाली व बाल संरक्षण प्रणाली (JJ System and Child Protection System)–

किशोर न्याय अधिनियम 2000 के बदले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 क्यों लागू किया गया ?

- क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए, जैसे : संस्थानों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, मामलों की अधिक

SPUP Knowledge Is Power
unicef unite for children
Centre for Child protection

विचाराधीनता (pendency) संस्थानों में सेवाओं की गुणवत्ता व पुनर्वास के उपाय, गोद लेने (Adoption) में देरी, संस्थानों की जवाबदेही, जिम्मेदारी का भ्रम, बच्चों के खिलाफ अपराधों का विरोध करने के अपर्याप्त प्रावधान।

- 16 से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों के बढ़ते अपराधों के निपटारे के लिए, क्योंकि जे.जे एक्ट 2000 में ''इस आयु समूह के बालकों के अपराधों को काबू करने के ठोस उपाय नहीं थे''।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालकों के दो बड़े आयु समूहों के लिए प्रावधान शामिल हैं –

- जो बालक देखभाल व संरक्षण के लिए जरूरतमंद (सी.एन.सी.पी) हैं।
- जो बालक कानून के साथ संघर्षरत (सी.सी.एल) हैं या आरोपी हैं।

देखभाल व संरक्षण के लिए जरूरतमंद (सी.एन.सी.पी)

- बेघर (Homeless)
- असमर्थ माता पिता वाले बालक
- त्यागे हुए, गुमशुदा या घर से भागे बालक
- प्राकृतिक व मानवीय आपदा के पीड़ित
- दुर्व्यवहार व शोषण के पीड़ित
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत
- मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार
- एचआईवी / एड्स प्रभावित या संक्रमित
- असाध्य बीमारियों के पीड़ित
- तस्करी – श्रम अथवा यौन उद्देश्यों के लिए
- श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए काम पर लगाये गए बच्चे
- गली के बच्चे
- आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे
- बाल भिखारी
- मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त बालक
- अनजान लाभ के लिए बालकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो या होने की संभावना हो
- बालक, जिसकी शादी की जाने वाली हो

सी.सी.एल के लिए एक अलग किशोर न्याय प्रणाली क्यों है?

- बच्चे वयस्कों की तरह विकसित होते हैं, उन पर ही निर्भर होते हैं और उनसे ही जोखिम में रहते हैं। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और अन्य बाधाओं के कारण सुरक्षा खेमे से बाहर आने वाले बच्चे (एंटाइटेलमेंट) के रूप में न्याय, देखभाल और सुरक्षा प्राप्त करें।
- बच्चे को अपनी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी महसूस कराने और उनके कृत्यों से दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में उनकी मदद करके व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।

किशोर न्याय प्रणाली व पुलिस

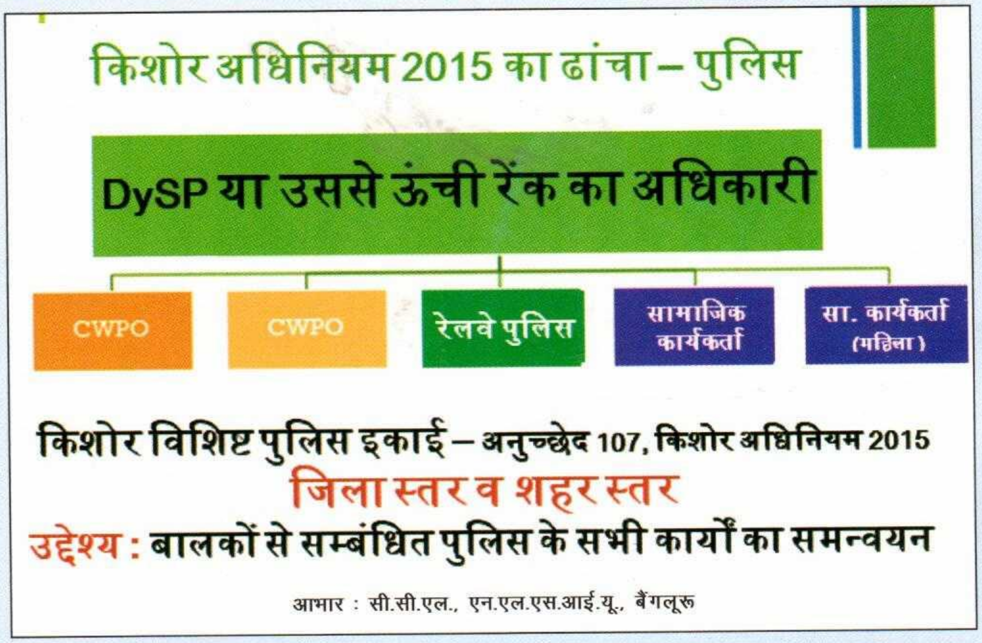

विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू)

- एस.जे.पी.यू राज्य पुलिस फोर्स की एक ऐसी इकाई है जो किशोर न्याय (बालकों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुच्छेद 107 के तहत प्रत्येक जिले में किशोरों या बच्चों के लिए बनाई गयी हैं।

एस.जे.पी.यू में शामिल हैं –

- डी.एस.पी अध्यक्ष होते हैं।
- सभी सी.डब्ल्यू.पी.ओ जो ए.एस.आई की रैंक से नीचे के न हों।
- दो सामाजिक कार्यकर्ता जिनमे से कम से कम एक महिला हो।
- बच्चों के मामलों में सहायता करने वाले व पुलिस द्वारा स्वीकृत व आमंत्रित किये गए एन.जी.ओ।

कार्य (Functions) –

कानून के साथ संघर्षरत और देखभाल व संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के मामलों को संभालना/निपटाना एस.जे.पी.यू का प्राथमिक कार्य होता है । वे उन मामलों को हैंडल करते हैं जो –

- जनता द्वारा लाये गए हों।
- पुलिस द्वारा लाये गए हों।
- सीडब्ल्यूसी ने रेफर किये हों।
- चाइल्डलाइन या अन्य एनजीओ ने रेफर किये हों।
- सरकार/अन्य संस्थानों और एजेंसियों द्वारा रेफर किये गए हों।
- वयस्कों या अन्य बच्चों द्वारा बच्चों के शोषण/दुर्व्यवहार की शिकायतों का जवाब देना।
- यह सुनिश्चित करना कि उन्हें तत्काल पकड़ लिया जाए और कानून के उचित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाए।
- सभी प्रकार की क्रूरता, दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।
- आगे कानूनी कार्रवाई के लिए अनुपालना नहीं किये जाने वाले मामलों की रिपोर्ट करना।
- सरकारी और अन्य दोनों प्रकार के संस्थानों में बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कार्यवाही करना।
- मामले के अनुसार बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के साथ समन्वयन करना।
- मामलों के शीघ्र निपटान हेतु समय सीमा के अनुसार प्रक्रियाओं का होना सुनिश्चित करना – एफआईआर, रिपोर्ट, जांचें, चार्जशीट और अन्य अनिवार्य दस्तावेज।
- पूरे जिले के बच्चों से सम्बन्धित सभी मामलों का केंद्रीकृत डेटा बेस मेन्टेन करना।
- गुमशुदा बच्चों का एक केंद्रीकृत डेटा बेस मेन्टेन करना, खोजने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करना और समय समय पर समीक्षा करना।
- सुनिश्चित करना कि हिरासत में बच्चों का पुलिस कर्मियों द्वारा, पुलिस स्टेशन में या बाहर उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या शोषण नहीं किया जाए।
- वयस्क अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए अन्य पुलिस स्टेशनों के साथ संपर्क बनाए रखना।
- एस.जे.पी.यू. इकाई द्वारा हैंडल किये गए बालकों सम्बन्धित सभी मामलों की मासिक स्टेटस रिपोर्ट राज्य पुलिस और डी.डब्ल्यू.सी.डी को जमा कराना।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों को रोकने और निगरानी के लिए सामुदायिक संगठनों और प्रमुख विभागों के साथ नेटवर्क बनाना।

SPUP Knowledge Is Power | unicef unite for children | Centre for Child protection

किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) 2015 के अनुसार करने योग्य एवं न करने योग्य बाते

करें (Do's)	नहीं करें (Don'ts)
CCIs बाल मैत्रीपूर्ण होने चाहियें और जेल जैसे नहीं दिखने चाहिएं	बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चे के हित के विरुद्ध व JJB/CWC की पूर्व लिखित सहमति के बिना बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है।
बच्चों के कल्याण व विकास के लिए प्रयासरत रहना	
संस्थान के मेडिकल ऑफिसर की सलाह से संचारित रोग या संक्रामक रोग वाले बच्चे को अलग रखना	
दैनिक गतिविधियों की अनुपालना व फॉलो-अप सुनिश्चित करना; संस्थान में स्थानीय व राष्ट्रीय त्योहारों व अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन करना।	CCI के बहार होने वाले किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण में बालक को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। सुरक्षा की उपयुक्त योजना बनाई जानी चाहिए और अनुरक्षण (escort) प्रदान किया जाना चाहिए।
अधिनियम व नियमों के अनुसार पर्याप्त मूलभूत भौतिक सुविधायें (infrastructure) प्रदान की जानी चाहियें।	किसी भी तरह के हमले, दुर्व्यवहार, त्याग, जोखिम या जानबूझकर उपेक्षा के कारण किसी बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा का शिकार नहीं बनाना चाहिए।
उम्र व सामर्थ्य के अनुसार संस्थान के अंदर और बाहर बच्चों को आवश्यकता अनुसार उचित शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें	किसी भी प्रकार के नशे, शराब, नशीली दवाओं या तंबाकू उत्पादों या साइकोट्रॉपिक पदार्थ की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि कोई योग्य चिकित्सक इन्हें लेने की राय न दे।
प्रत्येक बालक को CCI के इंचार्ज द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।	
बालक की पहचान से संतुष्ट होना चाहिए। यदि कोई शंका हो तो JJB या CWC को सूचित करें और बच्चे को उनके समक्ष प्रस्तुत करें।	कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी अनाथ, त्यागे हुए या आत्मसमर्पित बच्चे को देना या लेना नहीं चाहिए। फॉर्म 17 में आवश्यक जानकारी के साथ 24 घंटे के भीतर पुलिस और सीडब्ल्यूसी को सूचित करें।
CWC , बच्चे की सुरक्षा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी बच्चे के व्यवहारिक उल्लंघन पर कार्यवाही करें। आवश्यकता होने पर परामर्शदाता, कल्याण अधिकारी, केस वर्कर, या एनजीओ की सहायता लें।	किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चे को बेचा या ख़रीदा नहीं जाना चाहिए
असाधारण रूप से अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करें	इंचार्ज की सहमति लिए बिना CCI के किसी भी बालक की किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं की जानी चाहिए।

आभार : क्या करे क्या नहीं करे (Do's and Don'ts) की यह तालिका NCPCR और जस्टिस एंड केयर के डॉक्यूमेंट "Do's and Don'ts of person in-charge of CCIs" से ली गयी है

बाल संरक्षण संस्थानों के प्रकार Types of Child Care Institutions

गोद लेने वाली (Adoption) विशिष्ट एजेंसी

गोद लेने और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनाथ, त्यागे गए या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए गोद लेने के नियमों के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थानों या संगठनों को एक विशेष गोद लेने वाली एजेंसी के रूप में स्वीकृत करेगी।

अवलोकन घर (ऑब्जरवेशन होम)

- कानून के साथ संघर्षरत आरोपी बच्चों के लिए इस अधिनियम के तहत बकाया तहकीकात/पूछताछ के दौरान उनका अस्थायी रखरखाव, देखभाल व पुनर्वास।
- कानून के साथ संघर्षरत ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए जिसे मातापिता या परिजनों को नहीं सोंपा गया हो।

ओपन शेल्टर

ओपन शेल्टर आवासीय सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुदाय आधारित सुविधा मुहैया करवाता है जो अल्पकालिक आधार पर बालकों को दुर्व्यवहार से बचाने या उन्हें कम करने या सड़कों पर जीवन बिताने से बचाने के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है।

सुरक्षा का स्थान

अठारह वर्ष से अधिक उम्र के या सोलह से अठारह वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे को रखने के लिए, जो कानून के साथ संघर्षरत हो, और जिसे एक गंभीर अपराध करने के लिए आरोपी पाया गया हो दोषी ठहराया गया हो।

बाल घर

राज्य सरकार हर जिले या जिलों के समूह में, स्वयं या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से देखभाल और सुरक्षा की जरुरत वाले बच्चों के रखरखाव के लिए बाल घर स्थापित कर सकती हैं या उनका रखरखाव कर सकती है।

फिट सुविधा (Fit Facility)

JJB या CWC द्वारा किसी सरकारी संगठन या किसी पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलायी जा रही एक सुविधा को अस्थायी रूप से किसी विशेष उद्देश्य के लिए बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

विशेष घर : कानून के साथ संघर्षरत उन बच्चों के पुनर्वासन के लिए जिन्होंने अपराध किया हो और किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर उन्हें वहां रखा जाना हो।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत अपराध और सजा				
S. No.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत अपराध	न्यूनतम सजा	अधिकतम सजा	जुर्माना
1	बच्चों की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध		6 महीने	व/या 2 लाख रूपये तक जुर्माना
2	बच्चे के साथ क्रूरता		3 वर्ष	व /या 1 लाख रूपये तक जुर्माना
3	बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संगठन द्वारा या वहां के किसी कर्मचारी द्वारा बच्चे के प्रति क्रूरता		5 वर्ष की कड़ी सजा (RI*)	व 5 लाख रूपये तक जुर्माना
4	क्रूरता, जिसके परिणामस्वरूप बालक शारीरिक रूप से अक्षम/ मानसिक रूप से बीमार / असमर्थ हो जाए	3 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	10 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 5 लाख रूपये तक जुर्माना
5	भिक्षा के लिए बच्चे को काम पर लगाना		5 वर्ष	व 1 लाख रूपये तक जुर्माना
6	भीख मांगने के लिए बच्चे को अपंग बनाना या हाथ-पैर/ कोई अंग काटना	7 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	10 वर्ष	व 5 लाख रूपये जुर्माना
7	बच्चे पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा भीख मांगने के लिए उकसाना/बहकाना		5 वर्ष	व 1 लाख रूपये जुर्माना
8	बच्चे पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न/उकसाना/बहकाना - भीख मांगने के लिए बच्चे को अपंग बनाना या हाथ-पैर/ कोई अंग काटना	7 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	10 वर्ष	व 5 लाख रूपये जुर्माना
9	बच्चे को मादक पेय /शराब / नशीली दवाएँ / सायकोट्रोपिक पदार्थ देना	-	7 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 1 लाख रूपये तक जुर्माना
10	मादक पदार्थ / शराब / नार्को दवा / सायकोट्रोपिक पदार्थ बेचने / ले जाने / आपूर्ति करने / तस्करी करने के लिए बच्चे का उपयोग करना	-	7 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 1 लाख रूपये तक जुर्माना
11	एक कर्मचारी के रूप में बालक का शोषण	-	5 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 1 लाख रूपये जुर्माना
12	गोद लेने की प्रक्रिया के नियमों की अवहेलना	-	3 वर्ष	व/या 1 लाख रूपये जुर्माना
13	किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चे की बिक्री और खरीद	-	5 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 1 लाख रूपये जुर्माना
14	बच्चे पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, या अस्पताल / नर्सिंग होम / मातृत्व घर के कर्मचारियों द्वारा बच्चे की बिक्री और खरीद	3 वर्ष	7 वर्ष	
15	शारीरिक दंड	दूसरी या अधिक बार अपराध होने पर– 3 महीने		पहली बार अपराध होने पर –10,000 रूपये; दूसरी या अधिक बार अपराध होने पर – सजा या जुर्माना या दोनों
16	शारीरिक दंड के मामले में प्रबंधन का असहयोग	3 वर्ष		व 1 लाख रूपये तक जुर्माना
17	आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चे का उपयोग	-	7 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 5 लाख रूपये जुर्माना
18	अवैध गतिविधियों के लिए वयस्क या वयस्क समूहों द्वारा बच्चे का उपयोग	-	7 वर्ष की कड़ी सजा (RI)	व 5 लाख रूपये जुर्माना
19	विकलांग बच्चों पर किए गए अपराध	सामान्य बच्चों पर ऐसे अपराध की सजा की दोगुना सजा		

**RI : Rigorous Imprisonment (कड़ी सजा)*

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– राजीव शर्मा (IPS), संजय कुमार निराला, डॉ विजेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह, अदिति व्यास, आशुतोष श्रीवास्तव।